फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती पुष्पा **विपक्षी : श्री सुखलाल**

किस्म मुकदमा – 88,188 रा.का.अ. **पत्रावली संख्या : 137/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 22.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण द्वारा पूर्व में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्रीमती पुष्पा का पेश किया, जो रेकार्ड पर लिया गया, और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते। प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादी सं. 10, 11 को सुना गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद को स्वीकार कर डिक्री किया जाने का निवेदन किया, जिस पर प्रतिवादी सं. 10, 11 द्वारा भी अपने काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हैं। वादीयां के मौरूस वरदा जी हुए। वरदा जी के 2 पुत्र नाथु व आसिया हुए। नाथु व आसिया फौत हो चुके हैं। नाथु के पुत्र रामा जो वादीगण के पिता है उनकी भी मृत्यु हो चुकी हैं। रामा के वारिसों में प्रतिवादी सं. 1, 2, 10, 11 एवं वादी सं. 1, 2 एवं मृतक पुत्र किशनलाल के वारिस प्रतिवादी सं. 3 से 7 है। वादीगण के पिता रामा की मृत्यु के पश्चात् विरासत से भूमि रामा के सभी विधिक वारिसों के नाम दर्ज होनी चाहिए थी जो नहीं होकर केवल रामा के पुत्र एवं पत्नी के नाम दर्ज हो गई। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्रीमती पुष्पा का पेश किया, दस्तावेजों में जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, जमाबन्दी सेटलमेन्ट प्रदर्श 2, मिलान खसरा प्रदर्श 3 पेश किये। वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के मौरूस नाथु पिता वरदा के नाम दर्ज थी जिसके सम्बन्ध में दस्तावेज मिलान खसरा प्रदर्श 3 जिसमें वादग्रस्त भूमि नाथु पिता वरदा के नाम दर्ज हैं। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति होना स्पष्ट जाहिर है। चूंकि रामा के विविध वारिसों में वादी सं. 1, 2 व प्रतिवादी सं. 10, 11 शामिल हैं। विधिक वारिस होने से रामा की पैतृक सम्पति में वादीगण व प्रतिवादी सं. 10, 11 का जन्म से अधिकार निहित हैं। प्रतिवादी सं. 2 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं एवं अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी सं. 10, 11 द्वारा भी जवाब दावा व प्रतिवाद पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए अपने आप को रामा के विधिक वारिस होने की हैसियत से हिस्सेनुसार भूमि अपने नाम दर्ज कराने का निवेदन किया हैं। अतः वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति होने से पैतृक सम्पति में भूमि हिस्सेनुसार अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी सं. 10, 11 का प्रतिवाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: **आदेश** ::

परिणामस्वरूप वाद वादीगण व प्रतिवाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा मेडता पटवार हल्का मेडता की आराजी नम्बर 426 से 433 किता 8 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि में मृतक खातेदार रामा पिता नाथु के विधिक वारिसान वादी सं. 1, 2 व प्रतिवादी सं. 10, 11 को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 10, 11 को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 16:27:24 IST
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 137/21 (वाद) GCMS No. : 2021/276

उनवान

1. श्रीमती पुष्पा पुत्री रामा पत्नी पोखर मेघवाल निवासी सेक्टर न. 13 सवीनाखेडा तह. गिर्वा।
2. श्रीमती सुनिता पुत्री रामा पत्नी राजमल मेघवाल निवासी सेक्टर न. 14 द्वारकापुरी उदयपुर।

..................वादीगण

बनाम

1. श्री सुखलाल पिता रामा मेघवाल निवासी मेडता तह. मावली।
2. श्रीमती रामुबाई पत्नी रामा मेघवाल निवासी मेडता तह. मावली।
3. श्री मुकेश पिता किशनलाल मेघवाल निवासी मेडता तह. मावली।
4. सुश्री निरमा पुत्री किशनलाल मेघवाल निवासी मेडता तह. मावली।
5. सुश्री बसन्ती पुत्री किशनलाल मेघवाल निवासी मेडता तह. मावली।
6. श्रीमती सुरज पिता किशनलाल पत्नी नन्दलाल मेघवाल निवासी नाहरमगरा तह. मावली।
7. श्रीमती हीराबाई पत्नी किशनलाल मेघवाल निवासी मेडता तह. मावली।
8. श्री नरेश कुमार पिता अम्बालाल खटीक निवासी मेडता तह. मावली।
9. श्री कुलवन्त कुमार पिता परसराम खटीक निवासी कोठारिया तह. नाथद्वारा।
10. श्रीमती सोहनीबाई पुत्री रामा पत्नी बसन्तीलाल मेघवाल निवासी टांक मीठानीम तह. गिर्वा।
11. श्रीमती राधाबाई पुत्री रामा पत्नी शंकरलाल मेघवाल निवासी नाई तह. गिर्वा।
12. पटवारी, पटवार हल्का मेडता तह. मावली।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।
14. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।

.............प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु कपिल कुमार कोठारी, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :—

वाद वादीगण व प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मेडता पटवार हल्का मेडता की आराजी नम्बर 426 से 433 किता 8 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि में मृतक खातेदार रामा पिता नाथु के विधिक वारिसान वादी सं. 1, 2 व प्रतिवादी सं. 10, 11 को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 10, 11 को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22.09.2022 को जारी की गई।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 16:27:24 IST
Reason: SelfAttested